



Neutral Citation No. - 2026:AHC:19680

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - A संख्या – 1106/2026

शारदा प्रसाद.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता:

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता:

न्यायालय कक्ष संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. सबसे पहले, रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री संतोष कुमार पांडे ने वर्तमान याचिका वापस लेने का अनुरोध किया है। इस याचिका में, प्रतिवादी संख्या 3 को यह निर्देश देने के लिए परमादेश की प्रकृति का कोई रिट, आदेश या निर्देश जारी करने की चुनौती दी गई थी कि वह याचिकाकर्ता को उच्च प्रतियोगी शिक्षा और परीक्षाओं की तैयारी के लिए 'अर्ध-वेतन अवकाश' प्रदान करे; साथ ही, 'परमादेश' की प्रकृति का कोई अन्य रिट, आदेश या निर्देश जारी करने की भी मांग की गई थी, जिसमें प्रतिवादी संख्या 3 को यह आदेश दिया जाए कि वह याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 के समक्ष दिनांक 14.11.2025 को प्रस्तुत अभ्यावेदन पर निर्णय ले। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने यह अनुरोध इस स्वतंत्रता के साथ किया है कि उन्हें भाविष्य में नई याचिका दायर करने की अनुमति दी जाए, क्योंकि उनके अनुसार, वर्तमान याचिका को उचित रूप से तैयार (गठित) नहीं किया गया है।
2. प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।
3. उपर्युक्त स्वतंत्रता के साथ, यह रिट याचिका वापस ली गई मानकर खारिज की जाती है।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

29 जनवरी, 2026

आशु

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”